संख्या–1041/नौ–5–2017–255बजट/2016

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, बस्ती,
जनपद–बस्ती

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक :24 मई, 2018

विषयः नगर पालिका परिषद्, बस्ती को नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि रूपये 83.06 लाख की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् कृपया अपने पत्र संख्या–392/न0पा0प0ब0/2018–19, दिनांक 16.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषद्, बस्ती जनपद–बस्ती को वित्तीय वर्ष 20176–18 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–164/2018/1104/नौ–5–18–255बजट/16, दिनांक 30.03.2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि रूपए 83.06 लाख की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.03.2018 द्वारा प्रश्नगत योजना के लिए अवमुक्त की गयी द्वितीय किश्त की धनराशि रूपये 83.06 लाख की उपयोगिता अवधि **दिनांक 30 सितम्बर, 2018** तक बढ़ाये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि अवमुक्त धनराशि का उपयोग उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जाय, ताकि पुनः उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (1)/नौ–5–2018, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, बस्ती।
(3) कोषाधिकारी, बस्ती।
(4) निदेशक, नगरीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
(6) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।